



कार्यालय आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद

Office of the Director of Income Tax (Exemption)

दूसरा तल, वसंत नेचर व्यू बिल्डिंग, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009

2ND floor, Vasant Nature View Building, Ashram Road, Ahmedabad 380009

(Tele & Fax: 26584551)

फा.सं.आ.नि(छू.)/अहम/80जी(5)/15/ MPTN/2014-15 1175

ता.: 15.10.2014

पैन/PAN : AADTM3621J

ट्रस्ट का नाम/ Name of the Trust. :- MANAV PARIVAR TRUST NONGHANVADAR

C/o. Vinubhai K. Mangukia,
At. Nodhanvadar,
Ta. Palitana,
Dist. Bhavnagar.

रिन्यूअल की स्वीकृति के लिए आवेदन -

Sub: Application for grant of Approval / renewal u/s. 80G (5) of I.T.Act, 1961 -

उपर्युक्त न्यास/संस्थान के ता 09.04.2014 के फार्म नं 10 जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) के तहत, उसमें दी गई सीमा के अंदर कटौती योग्य हैं।

With reference to application in form No.10G made by the aforesaid trust/institution on 09.04.2014 it is certified that donations made to the trust/institution shall qualify for deduction u/s.80G (5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein.

2. उपर्युक्त छूट ता 09.04.2014 से वैध है। जबतक कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रद्द नहीं किया जाता।

This exemption is valid with effect from 09.04.2014 onwards (i.e. F.Y. 2013-14 & A.Y. 2014-15) unless cancelled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions:-

(i) दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाणपत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए यह वैध है, का उल्लेख करें।

Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.

(ii) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम 1961, की धारा 2(15), 11, 12, 13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए।

The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the I T Act, 1961.

(iii) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139(4A)/(4C)/(4D) के तहत आडिट रिपोर्ट के साथ, जहाँ लागू हो, सम्बंधित निर्धारण अधिकारी को नियम तारीख तक आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं बेलेन्स-शीट के साथ आयकरविवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 139(4A)/(4C)/(4D) of the I T Act, 1961 every year along with the audit report, wherever applicable.



(2)
MANAV PARIVAR TRUST NONGHANVADAR

- (iv) अगर विलेख/एसोसिएशन/ज़ापन/निधि/संस्थान/न्यास के नीति नियमों में जब भी कोई संशोधन हो तो सम्बंधित निर्धारण अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाए

Amendments if any made to the deed of statement/memorandum of Association/Rules Regulations of the Fund/Institution/Trust are intimated to the concerned Assessing Officer, immediately whenever made.

- (v) आवेदक ने संकल्प और शपथ पत्र विघटन खंड की एक प्रति दायर की है।

The applicant has filed a copy of resolution and affidavit regarding dissolution clause.

अतः यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है।

Therefore, this Certificate is issued subject to following condition:

न्यास अपरिवर्तनीय होना चाहिए। यद्यपि, कुछ कारणों से न्यास भंगीय है तब सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्तु सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास को स्थानांतरित की जा सकती है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम के प्रावधान अनुसार I वह अन्य न्यास उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास।

The trust should be irrevocable. However, for some reason trust is to be dissolved then no property would go to any founder, settler, trustee or donor, member etc but the properties after meeting liabilities would go to some other trust carrying on similar activity. The transfer of properties, if any, should be as per the provisions of Gujarat Public Trust Act, with the permission of Charity Commissioner.

- (vi) This certificate is issued vide registration no.

DIT (E)/AHD/AADTM3621/14-15/80G(5)/T-190 dated 15.10.2014

Sd/-

(S. K. Gupta)

आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद

Director of Income Tax (Exemption), Ahmedabad

प्रतिलिपि/Copy to :

- (i) The Applicant Trust
(ii) The Addl. DIT(Exemption), Ahmedabad.
(iii) The Guard File.
(iv) उप आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद, द्वारा संबंधित वर्षों के लिए प्रस्तुत किया गया वार्षिक लेखा विवरण से संतुष्ट हो एवं यह भी देखें कि आवेदक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(जी) तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन करते रहना चाहिए।

(B.G.Patel)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(छूट),

Income tax Officer (HQ)(E),

कृते आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद

For Director of Income Tax (Exemption), Ahmedabad

